न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 08/2023

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय

<u>बनाम</u>

1. मलखान पुत्र श्योदान गुर्जर
2. रामेश्वर पुत्र गंगाधर गुर्जर
3. मूलचन्द पुत्र पन्ना गुर्जर
4. सरदार पुत्र घुड्या गुर्जर
   समस्त निवासी गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. पीएनबी शाखा सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

<u>प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 आर.टी.ए. 1956</u>

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

<u>:–निर्णयः–</u> दिनांकः 20.09.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर हाल 76, 82 गत नम्बर 13/2/8 रकबा 0.51 है. सम्वत 2055 से 2058 तक गैर मुमकिन तालाब, नदी, नाले, नाडी, झील, जलाशय, जल प्रवाह, जल स्तर की भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 25.05.1992 को भूमि खसरा नम्बर 13/2/8 रकबा 2 बीघा को को मलखान पुत्र श्योदान, रामेश्वर पुत्र गंगाधर, मूलचन्द पुत्र पन्ना, सरदार पुत्र घूडमल जाति गुर्जर निवासी गांवडी को आवंटन कर दी। उक्त आदेश की पालना में भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 13/2/8 आवंटी मलखान पुत्र श्योदान, रामेश्वर पुत्र गंगाधर, मूलचन्द पुत्र पन्ना, सरदार पुत्र घूडमल जाति गुर्जर निवासी गांवडी के नाम नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 22.01.2002 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत रिकॉर्ड में दर्ज नदी, नाले, झील, तालाब, जलाशय की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। यदि ऐसी किसी भूमि पर निजी खातेदारी दर्ज हो गई हो तो आवंटन आदेश एवं नामान्तरकरण कानून की निगाह में अवैध व प्रभावशून्य व कानून के विपरीत है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से राज्य सरकार को ऐसी नदी, नाले, झील, तालाब, जलाशय, जल प्रवाह, जल स्थिर की भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी जो पश्चातवर्ती भू–प्रबन्ध एवं भू–अभिलेख संक्रियाएं के तहत निजी खातेदारी अन्यत्र दर्ज हो गई है। ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोढ गैर मु. भूमियों को पुनः पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। उक्त निर्देशों की पालना में प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रैफरेन्स प्रकरण तैयार कर अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 25.05.1992 को किया गया आवंटन आदेश व नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 22.01.2002 को निरस्त फरमाने व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को निरस्त कर संवत दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियो अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन सिवायचक भूमि वापसी दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:26:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 3 लगा. 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुये ना ही जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं हुये और ना ही जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराया गया। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 76, 82 गत नम्बर 13/2/8 रकबा 0.51 है. सम्वत 2055 से 2058 तक गैर मुमकिन तालाब, नदी, नाले, नाडी, झील, जलाशय, जल प्रवाह, जल स्तर की भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 25.05.1992 को भूमि खसरा नम्बर 13/2/8 रकबा 2 बीघा को मलखान पुत्र श्योदान, रामेश्वर पुत्र गंगाधर, मूलचन्द पुत्र पन्ना, सरदार पुत्र घूडमल जाति गुर्जर निवासी गांवडी को आवंटन कर दी। उक्त आदेश की पालना में भूमि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 13/2/8 आवंटी मलखान पुत्र श्योदान, रामेश्वर पुत्र गंगाधर, मूलचन्द पुत्र पन्ना, सरदार पुत्र घूडमल जाति गुर्जर निवासी गांवडी के नाम नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 22.01.2002 से गैर खातेदारी में दर्ज हुई है। उक्त भूमि गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड थी, जो पश्चातवर्ती भू–प्रबन्ध व भू–अभिलेख संक्रियाओं के तहत अन्यत्र दर्ज हो गई है। जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 0.25 एवं खसरा नम्बर 82 रकबा 0.26 है. कुल 0.51 है. अप्रार्थीगण मलखान पुत्र श्योदान, रामेश्वर पुत्र गंगाधर, मूलचन्द पुत्र पन्ना, सरदार पुत्र घूडमल जाति गुर्जर निवासी गांवडी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से प्रभावित है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को पुनः राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जाना आवश्यक है। अतः अप्रार्थी मलखान पुत्र श्योदान, रामेश्वर पुत्र गंगाधर, मूलचन्द पुत्र पन्ना, सरदार पुत्र घूडमल जाति गुर्जर निवासी गांवडी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 13/2/8 रकबा 2 बीघा के आवंटन आदेश दिनांक 25.05.1992 एवं नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 22.01.2002 को निरस्त करने एवं भूमि को सिवायचक गैर मुमकिन नला वापिस दर्ज करने हेतु तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 13/2/8 रकबा 2 बीघा वर्तमान में अप्रार्थी मलखान पुत्र श्योदान, रामेश्वर पुत्र गंगाधर, मूलचन्द पुत्र पन्ना, सरदार पुत्र घूडमल जाति गुर्जर निवासी गांवडी की भूमि सम्वत 2055 से 2058 में गैर मुमकिन नला दर्ज रिकॉर्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोढ गैर मु. भूमियों को पुनः पुर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से संपर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करने सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार सिकराय को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:26:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official